(15)

**न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर**

**समक्ष**

**डॉ0 मधु खरे**

**सदस्य**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1203–एक/1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–04–1999 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 31/1982–83 निगरानी

1– गोरधनसिंह पुत्र भारत सिंह
2– सूरज सिंह पुत्र मोतीसिंह
3– अमर सिंह पुत्र मोड़ सिंह
4– विजयसिंह पुत्र निर्भयसिंह
5– पोपसिंह पुत्र अमानसिंह
6– हड़मतसिंह पुत्र अमानसिंह
निवासीगण ग्राम घटियाखुर्द
परगना व जिला शाजापुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– सरदार सिंह पुत्र परवतसिंह
3– रामनाथ पुत्र मोड़सिंह
4– छतरसिंह पुत्र हटेसिंह
क्रमांक 2 से 5 निवासी घटियाखुर्द
परगना व जिला शाजापुर ---अनावेदकगण

(श्री जे0एस0गौड़ अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री के0के0द्विवेदी अभिभाषक – अनावेदक 2 से 4)
(श्री डी0के0शुक्ला पैनल अभिभाषक – अनावेदक –1)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 05-नवम्बर 2015 को पारित)

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/1982–83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–4–1999 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है तहसीलदार शाजापुर के प्रकरण कमांक 393/57X4/1 में दिनांक 23-2-1954 को सूरज सिंह पुत्र मोतीसिंह एंव अमरसिंह पुत्र मोड़सिंह ग्राम घटियाखुर्द को भूमि सर्वे कमांक 134 तथा सर्वे नंबर 290 कुल 21 वीघा 14 विसवा भूमि का पटटा दिया गया। प्रकरण कमांक 232/58 X4/1 से गोरधन सिंह पुत्र भारत सिंह ग्राम घटियाखुर्द को खसरा कमांक 425 , 262, 839, 835 कुल किता 4 कुल रकबा 14 वीघा 11 विसवा का पटटा दिया गया। इसी प्रकार पोप सिंह हड़मतसिंह पुत्रगण अमान सिंह, विजेसिंह पुत्र निरभेसिंह ग्राम घटियाखुर्द को ख.नं. 629, 630 , 754, 761, 797/3 कुल किता 5 कुल रकबा 23 वीघा 2 विसवा का पटटा दिया गया । उक्त प्रकरणों में भूमि बन्टन में की गई अनियमितताओं के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने निगरानी कमांक 128/1968-69 दर्ज की एंव आदेश दिनांक 20-9-1969 से दिये गये पटटों को संदिग्ध होना निरूपित किया। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर में निगरानी कमांक 276-तीन/1969 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5-10-1971 से निगरानी निरस्त की गई। फलतः अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के आदेश दिनांक 20-9-1969 के पालन में कलेक्टर शाजापुर ने पटटाग्रहीताओं के विरूद्व स्वमेव निगरानी कमांक 51/1975-76 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-9-1982 पारित किया तथा निर्धारित किया कि :-

**" 1959 से जो प्रीमियम भू राजस्व लिया जाना चाहिये था वह संपूर्ण जमा हो चुका है अथवा नहीं यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर को इस आदेश की प्रतिलिपि भेजी जावे साथ ही मूल पटटे के आधार पर तथा उन अधिकारियों**

**व्दारा दिये गये नमूने हस्ताक्षर तथा अन्य नस्तीयों में दर्ज हस्ताक्षर के आधार पर से हस्ताक्षर विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जावे। उनकी राय प्राप्त हो जाने पर प्रथक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी। अतः शासन पक्ष का यह स्वत्व सुरक्षित रखते हुये यह निगरानी समाप्त की जाती है।''**

कलेक्टर, शाजापुर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी कमांक 31/1982-83 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 3-4-1999 से निरस्त की गई। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के आदेश दिनांक 20-9-1969 के कम में कलेक्टर शाजापुर ने कार्यवाही प्रारंभ की है तथा नायव तहसीलदार तहसील शाजापुर से जांच प्रतिवेदन मांगा है जो दिनांक 15-3-1973 को प्राप्त हुआ है इस जांच प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि नायव तहसीलदार के समक्ष पटटाग्रहीताओं ने जो मूल पटटे प्रस्तुत किये हैं, पटटों अंकित प्रकरण के बारे में नायव तहसीलदार ने प्रतिवेदित किया है कि-

**"इन प्रकरणों के बारे में मेरे व्दारा तहसील रिकार्ड एंव दायरा रजिस्टर और रिकार्ड रूम में विस्तृत जांच की गई। जैसाकि प्रकरण की आदेशिका दिनांक 15-9-72 से स्पष्ट है । दायरा रजिस्टर वर्ष 1957 देखा गया और यह पाया गया कि इस रजिस्टर में प्रकरण कमांक 393/57X4/1 भिन्न स्याही से वाद में दर्ज किया गया है जो फर्जी प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रकरण कमांक 1297/61X162 वर्ष 1959 के दायरा रजिस्टर के साथ वर्ष 1961**

**भी लिखा गया है परन्तु इस रजिस्टर में कोई इन्डैक्स नहीं है और प्रकरण का आखरी दायरा 1225 तक है प्रकरण कमांक 323/58 X4/1 वर्ष 58 के पृष्ठ 117 पर भिन्न स्याही से बढ़ाया गया है तथा लिखावट से यह प्रतीत होता है कि इसको किसी अन्य व्यक्ति ने वाद में दर्ज किया है और इसके पहले तथा वाद के नंबरों में काटा-पीटी की है।''**

दायरा रजिस्टर पर प्रकरणों की प्रविष्टि के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार का प्रतिवेदन बहुत स्पष्ट है तथा यदि कलेक्टर चाहते तो उक्त प्रतिवेदन के आधार पर भी पट्टों के सम्बन्ध में अपनी राय बनाकर आदेश कर सकते थे, परन्तु कलेक्टर ने और भी गहराई से जांच कराने के लिये आदेश दिनांक 30-9-82 से अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर को जॉच हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर के आदेश दिनांक 30-9-82 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा जांच करने पर यह स्पष्ट हो सकता है कि यदि पट्टे असली है तो सन् 1959 से पटटाग्रहीताओं से जो प्रीमियम भू राजस्व लिया जाना चाहिये था वह संपूर्ण जमा हो चुका है अथवा नहीं । साथ ही मूल पटटे के आधार पर तथा उन अधिकारियों व्दारा दिये गये नमूने हस्ताक्षर तथा अन्य नस्तियों में दर्ज हस्ताक्षर के मिलान के आधार पर, हस्ताक्षर विशेषज्ञ की राय से सुनिश्चित हो जावेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। यदि पटटे वास्तविक पाये गये - पटटाग्रहीताओं का अधिकार सुरक्षित है, यदि पटटे असत्य एंव कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त होना पाये गये, कलेक्टर शाजापुर द्वारा प्रथक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायगी - ऐसा निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर शाजापुर ने शासन पक्ष का स्वमेव निगरानी का अधिकार सुरक्षित रखा है, जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 31/1982-83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-4-1999 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना

है। अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के समक्ष जांच के दौरानआवेदकगण को पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त है तथा यदि कलेक्टर व्दारा पुनः प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाता है तब भी आवेदकगण को स्वयं् का पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है। अतः विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त तथा कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

5/ यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मूल प्रकरण में अपर आयुक्त न्यायालय में 20-9-69 को आदेश किया गया था तब से निरन्तर प्रकरण में निगरानी में कार्यवाही राजस्व मण्डल , फिर अपर आयुक्त एंव कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित रही है। कलेक्टर तथा अपर आयुक्त व्दारा किये गये आदेशों के विरूद्ध इस न्यायालय में भी वर्ष 1999 से प्रकरण प्रचलित रहा। इस प्रकार लगभग 45-46 वर्ष से प्रकरण में अंतिम रूप से कार्यवाही नहीं हो सकी। इस प्रकार के विलम्ब से न्यायिक प्रकिया पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है, अतः प्रकरण में कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह पारदर्शी प्रकिया का पालन कर तथ्यों की जांच करें एंव जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर (Speaking order) बोलता हुआ आदेश पारित करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 31/1982-83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-4-1999 तथा कलेक्टर शाजापुर द्वारा प्रकरण कमांक 51/1975-76 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-1982 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर